

चेक लिस्ट क्र.- 34

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर
का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित
होगा) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई
दिल्ली का पत्र क्रमांक / F.No.11-9/1998-FC दिनांक
03.08.2009)।

चेक लिस्ट क्रमांक – 34

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति
प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)

कोरबा वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना फेस – II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक /F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009 एवं दिनांक 05.02.2013 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर कोरबा का पत्र क्रमांक 05/भू.अ./वन.अधि./2018 दिनांक 03.01.2019 द्वारा वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पत्र संलग्न है।

Suman Chief Operating Officer
Chhattisgarh East Railway Ltd.,
CSIDC Commercial Complex,
2nd Floor, Raipura,
राजेश खरे Raipur (C.G.)
मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी
सी.ई.आर.एल. / सी.ई.डब्ल्यूआर.एल
CSIDC कॉम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल वनमण्डल कारबा
कोरबा वनमण्डल, कारबा

FROM-I

(For linear projects)

Government of Chhattisgarh

Officer of the District Collector Korba (C.G.)

--****--

क्र./ 05 / भू.अ./वन अधि./2018

कोरबा दिनांक 03/01/2018

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **35.885 hectare of revenue forest land & 23.483 hectare of forest land Total Area 59.368 hectare land** proposed to be diverted in favour of Chhattisgarh East Railway Limited for **Chhattisgarh East-West Railcoridor Urga to Dharamjaygarh Rail Line porject** work in Korba district falls within jurisdiction of **Dongdarha, Urga in korba tehsil and Gidhouri, Dongaama, Bodajhap, Kervadwari, Sendripali, Bandhapali, Pidiya, Jogipali, Tenganmar, Dadarkala, Fatteganj, Botali, Nondarha** villages in Kartala tehsils.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for entire **35.885 hectare of revenue forest land & 23.483 hectare of forest land Total Area 59.368 hectare land** area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committees and the Sub Divisional level Committee are enclosed .
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls : As above.

(Md. Qaiser Abdul Haque)

Collector

Korba (Chhattisgarh)

कोरबा (छत्तीसगढ़)
KORBA (CHHATTISGARH)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा छ0ग0

क्रमांक/२९८०/अ०वि०अ०/वन.अधि./२०१८

कोरबा, दिनांक १५/८/२०१८

//प्रस्ताव//

दिनांक १५/८/२०१८ को उपखण्ड स्तरीय समिति कोरबा में बैठक आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी छ0ग0, ईस्ट रेल्वे लिमिटेड सीएसआईडीसी कॉपलेक्स महादेव घाट, रायपुर द्वारा वनमण्डल कोरबा अंतर्गत ग्राम ढोंगदरहा, मसान, तिलकेजा, बगबुड़ा, पताढ़ी, अखरापाली, देवरमाल, सेमीपाली, उरगा, जुनवानी, गिधौरी, डोंगाआमा, बोड़ाझाप, केरवांद्वारी, सेन्द्रीपाली, बांधापाली, पिडिया, जोगीपाली, टेंगनमार, घिनारा, दादरकला, फत्तेगंज, चारमार, मदवानी, नोनदरहा, में निर्माण हेतु प्रस्तावित है। जिसमें जिला कोरबा छ0ग0 में वनमण्डल कोरबा अंतर्गत आने वाले आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के कक्ष क्रमांक/राजस्व वनभूमि के खसरा क्रमांक 668, 1214/1, 1200, 112/1, 1140, 1194, ओ.ए.1302, 226, 11/1, 221/1, 1/1, 206/1, 241/1, 58/1, 56/4, 57/2, 59/2, 69/1, ओ.ए. 1458, 313, 18/1, 125/1क से, ओ.ए. 1484, 751, 223, 354, 807/1, 1126/10, 210/1, 547/1, 553/1, ओ.ए. 1466, 208/1, 210/2, 553/2, 26/1, पी. 1149, पी. 1150, 960, 953, 1/1, 5/1, पी. 1151, 49/1, 69/1, कुल रकबा 59368 हे० राजस्व एवं वनभूमि प्रभावित हो रहा है। जिसमें तहसील कोरबा/करतला अंतर्गत आने वाले ग्राम ढोंगदरहा, मसान, तिलकेजा, बगबुड़ा, पताढ़ी, अखरापाली, देवरमाल, सेमीपाली, उरगा, जुनवानी, गिधौरी, डोंगाआमा, बोड़ाझाप, केरवांद्वारी, सेन्द्रीपाली, बांधापाली, पिडिया, जोगीपाली, टेंगनमार, घिनारा, दादरकला, फत्तेगंज, चारमार, मदवानी, नोनदरहा, आता है। इस ग्राम पंचायत से वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत (वन अधिकारों की मान्यता) हेतु ग्राम सभा में सहमति प्राप्त की गई, उक्त ग्राम पंचायत की ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तर पर उक्त ग्राम में वनाधिकार के सभी दावे/आवेदनों का विनिश्चय कर लिया गया। उक्त ग्राम की प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन पर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कोरबा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पारित करती है। यह प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रेषित है।

सदस्याध्यक्ष
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
(श्रीमति जिला-कारबा छ.ग.)
जनपद सदस्य-कारबा
अनुभाग-कोरबा

सदस्य
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत करतला
अनुभाग-कोरबा

सदस्य
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
(महालन परिषद भूमि)
जनपद सदस्य-करतला
जिला अनुभाग-कोरबा

सदस्य
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
अनुविभागीय अधिकारी(वन)
वनमण्डल कोरबा
अनुभाग-कोरबा

श्रीकुंतला
श्रीकुंतला यादव
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
(श्रीमति शकुंतला यादव)
जनपद सदस्य-करतला
अनुभाग-कोरबा

सचिव
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कोरबा
अनुभाग-कोरबा

अध्यक्ष
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
अनुविभागीय अधिकारी (रा०)
अनुभाग-कोरबा

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ०ग०)

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

क्र./ 05 / भू.अ./ वन अधि./ 2018

कोरबा दिनांक 03/01/2018

प्रति,

✓ मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी
सीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड के द्वारा उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनभूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / CERL/CEWRL/17-18 Date : 05.03.2018

—000—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। मेसर्स, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड के द्वारा उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु जिले में वन मण्डल कोरबा अंतर्गत प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि कुल रकबा 59.368 हेक्टेयर भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् वन मण्डलाधिकारी कोरबा एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा.) कोरबा से संयुक्त जांच सहित प्रतिवेदन प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	आवेदित रकबा (हेक्टर में)	मद	कैफियत
1	कोरबा	डोंगदरहा	668	0.170	बड़े झाड़ के जंगल	
2	कोरबा	उरगा	1214/1	0.048	बड़े झाड़ के जंगल	
3	करतला	गिधौरी	1200	3.658	बड़े झाड़ के जंगल	
4	करतला	गिधौरी	112/1	0.313	बड़े झाड़ के जंगल	
5	करतला	गिधौरी	1140	1.145	बड़े झाड़ के जंगल	
6	करतला	गिधौरी	1194	2.968	बड़े झाड़ के जंगल	
7	करतला	डोंगाआमा	226	1.008	बड़े झाड़ के जंगल	
8	करतला	डोंगाआमा	11/1	1.582	बड़े झाड़ के जंगल	
9	करतला	डोंगाआमा	221/1	0.112	बड़े झाड़ के जंगल	
10	करतला	डोंगाआमा	1/1	0.769	बड़े झाड़ के जंगल	
11	करतला	डोंगाआमा	206/1	0.203	बड़े झाड़ के जंगल	
12	करतला	डोंगाआमा	241/1	0.145	बड़े झाड़ के जंगल	

//1//

13	करतला	डोंगआमा	58/1, 56/4, 57/2 , 59/2	1.522	बड़े झाड़ के जंगल	
14	करतला	बोड़ाझाप	69/1	2.428	बड़े झाड़ के जंगल	
15	करतला	केरवांद्वारी	313	0.610	बड़े झाड़ के जंगल	
16	करतला	केरवांद्वारी	18/1	0.242	बड़े झाड़ के जंगल	
17	करतला	केरवांद्वारी	125/1 क	0.644	बड़े झाड़ के जंगल	
18	करतला	सेन्द्रीपाली	751	2.518	बड़े झाड़ के जंगल	
19	करतला	सेन्द्रीपाली	223	0.492	बड़े झाड़ के जंगल	
20	करतला	बाधापाली	354	1.150	बड़े झाड़ के जंगल	
21	करतला	पिड़िया	807/1	2.745	बड़े झाड़ के जंगल	
22	करतला	पिड़िया	1126/10	0.176	छोटे झाड़ के जंगल	
23	करतला	जोगीपाली	210/1	1.809	बड़े झाड़ के जंगल	
24	करतला	जोगीपाली	547/1	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
25	करतला	जोगीपाली	553/1	0.289	छोटे झाड़ के जंगल	
26	करतला	टेंगनमार	26/1	1.512	बड़े झाड़ के जंगल	
27	करतला	दादरकला	960	0.829	बड़े झाड़ के जंगल	
28	करतला	दादरकला	953	0.302	बड़े झाड़ के जंगल	
29	करतला	फत्तेगंज	1/1	0.395	बड़े झाड़ के जंगल	
30	करतला	बोतली	5/1	1.730	बड़े झाड़ के जंगल	
31	करतला	नोनदरहा	49/1	2.075	बड़े झाड़ के जंगल	
32	करतला	नोनदरहा	69/1	2.285	बड़े झाड़ के जंगल	
राजस्व वन भूमि योग				35.885		
33	करतला	गिधौरी	OA 1302	8.515	नारंगी वन	
34	करतला	बोड़ाझाप	OA 1458	1.701	नारंगी वन	
35	करतला	केरवांद्वारी	OA 1484	1.685	नारंगी वन	
36	करतला	जोगीपाली	OA 1466	4.341	नारंगी वन	
37	करतला	टेंगनमार	P 1149	1.562	संरक्षित वन	
38	करतला	टेंगनमार	P 1150	1.793	संरक्षित वन	
39	करतला	बोतली	P 1151	3.886	संरक्षित वन	
वन भूमि योग				23.483		
		कुल योग		59.368		

//2//

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड के द्वारा उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन परियोजना निर्माण से प्रश्नाधीन भूमि के व्यपर्वतन में 17 हितग्राहियों का वन अधिकार पत्र कुल रकबा 5.072 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रहा है, विवरण निम्नानुसार है-

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	दावेदार का नाम/पिता का नाम जिनको वन अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है उनकी भूमि प्रभावित हो रही है	खसरा नंबर	वितरित रकबा
1	करतल	गिधौरी	जगदीशसिंह/मुखीराम कंवर	1140	0.315
2			जगदेवसिंह/नानदाउ कंवर	1140	0.170
3			महेत्तरसिंह/चमरा कंवर	1302	0.170
4			फगुनहा/पतंग धनुहार	1302	0.061
5	डोंगआमा		रोहितकुमार/फुलसिंह कंवर	211/1 से	0.056
6			सुखसिंह/ननकी कंवर	211/1 से	0.056
7			अमरसिंह/सिदारसिंह कंवर	1/1	0.303
8			चमारराय/जयलाल कंवर	241/1 से	0.101
9			सुभउराम/बोधराम खैरवार	11/1 से	0.607
10			होसराम/जहान	11/1 से	0.121
11	बोडाझाप		रामप्रसाद/मंगल	69/1	0.486
12			जगन्नाथ/रामप्रसाद	69/1	0.486
13			उमेंदसिंह/इंजोरसिंह	69/1	0.607
14			चीनीलाल/इंजोरसिंह	69/1	0.405
15			चैनसिंह/इंजोरसिंह	69/1	0.324
16			विजय/मोहरसिंह	69/1	0.160
17	केरवांद्वारी		श्यामलाल/धमनसिंह	125/1क से	0.644
			योग		5.072

उक्त परियोजना में प्रश्नाधीन भूमि के व्यपर्वतन में प्रस्तावित भूमि पर कोई विलुप्तप्राय जनजाति समूह के सदस्य निवासरत नहीं है एवं न ही शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा प्रभावित हो रही है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No. 11-9/98-FC(pt.) दिनांक 3 फरवरी 2013 के द्वारा लिनियर परियोजना (सड़क, नहर, पाईपलाईन/आपटिकल बाईबर बिछाने, ट्रांसमिसन लाईन इत्यादि) के लिये भूमि व्यपर्वतन हेतु ग्राम सभा से छूट प्रदाय की गई है।

अतः वनमण्डल कोरबा अंतर्गत ग्राम ढोंगदरहा, उरगा, गिधौरी, डोंगाआमा, बोड़ाझाप, केरवांद्वारी, सेन्द्रीपाली, बांधापाली, पिडिया, जोगीपाली, टेंगनमार, दादरकला, फत्तेगंज, बोतली, नोनदरहा में राजस्व वन भूमि रकबा 35.885 हेक्टेयर हेक्टेयर, वन भूमि रकबा 23.483 हेक्टेयर, कुल रकबा 59.368 हेक्टेयर में मेसर्स, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर रायपुर के द्वारा उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित विधि प्रावधान के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तों के अधीन कोई आपत्ति नहीं है—

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि पर मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर को उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।
2. मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर को उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर को उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण परियोजना से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
4. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
5. मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर को उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
6. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरान्त शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ0ग0 शासन राजस्व विभाग को देय होगी।

(मो० कैसर अब्दुल हक)

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा दिनांक ०३/०१/२०१४

पृ. क्र./ ०६ / भू.अ./वन अधि./2018
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, ४०ग० शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा (छत्तीसगढ़)